(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 383–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–01–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी, जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 39/2013–14/अपील

.....

महिला यशोदा पत्नी श्री सियाराम पुत्री
स्व0 श्री मिश्रीलाल कुशवाह, निवसी–
ग्राम भटनावर परगना पोहरी, हाल–निवासी
बैराड परगना पोहरी, जिला–शिवपुरी,म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीलाल पुत्र किसना काछी
निवासी– ग्राम अमरपुरा परगना
पोहरी, जिला–शिवपुरी, म.प्र.

..... अनावेदक

.....

श्री राजीव रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8 सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी, जिला–शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका ने तहसीलदार पोहरी के प्रकरण कमांक 175/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–6–2013 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष दिनांक 31–12–2013 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश

दिनांक 13–1–2015 को प्रस्तुत अपील को 05 माह विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यपित प्रति का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13–1–2015 के द्वारा आवेदिका की अपील को समयबाधित होने से अस्वीकार की है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में यह प्रावधान है कि यदि अपील प्रकरण परिसीमा की बाधा के कारण खरिज हो जाता है, तब ऐसा आदेश संहिता की धारा 44(2) के अधीन अपील योग्य है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरूद्ध आवेदिका को द्वितीय अपील में उपचार उपलब्ध था। दर्शित परिस्तियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। आवेदिका सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर